

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1143
उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025
सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

ओडिशा में महिला उद्यमिता

1143. श्री अनन्त नायक:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला-नेतृत्व उद्यमिता कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से ओडिशा में महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नेटवर्किंग अवसरों के माध्यम से उद्यमिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है;

(ख) क्यों झर जैसे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित ओडिशा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्षित कार्यक्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्य में शुरू की गई विशिष्ट पहलों या साझेदारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) भारत सरकार महिला उद्यमियों को उनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और संरचनागत बाधाओं, व्यापारिक अवसरों तक पहुँच और प्रशिक्षण की कमी को पार करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण कौशलों, ज्ञान और नेटवर्किंग अवसरों को प्रदान करने के महत्व को समझती है। सरकार ने महिलाओं में उद्यमियता की समझ और क्षमताओं के निर्माण, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की प्रगति को समर्थन प्रदान करने और उनके द्वारा उद्यमशीलता की चुनौतियों का सामना करने के लिए मैनेट्रिंग और नज़दीकी समर्थन प्रदान करने हेतु विभिन्न पहलों की हैं।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने अपने स्वायत्त संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान (निसबड) और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आई आई ई) के माध्यम से ओडिशा राज्य सहित पूरे देश में महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की गई पहलों का विवरण **अनुबंध I** पर दिया गया है।

इसके अलावा, महिला उद्यमियों सहित उद्यमियों का संवर्धन करने के उद्देश्य से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ओडिशा राज्य में अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख पहलों का विवरण **अनुबंध II** में है।

एमएसडीई ने इनक्यूबेशन सहायता, सलाहकारों का नेटवर्क, उद्योग संपर्क, क्रेडिट और बाजार संपर्क प्रदान करके महिला उद्यमशीलता को सशक्त बनाने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ सहयोग किया है। निस्बड ने भारतीय उद्यमशीलता इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य महिलाओं सहित महत्वाकांक्षी और वर्तमान छोटे व्यवसाय मालिकों को आज के गतिशील बाजार परिवेश में फलने-फूलने के लिए आवश्यक उपकरण, ज्ञान और संसाधन प्रदान करना है। यह साझेदारी उभरते और मौजूदा उद्यमियों को सात क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित करने में मदद करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ओडिशा में इस पहल के माध्यम से कुल 191 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

निस्बड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के सहयोग से बेरोजगार युवाओं, स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों और महिलाओं सहित छात्रों के बीच एक व्यवहार्य आजीविका विकल्प के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपीएस) का आयोजन किया। यह परियोजना एचयूएल द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत प्रायोजित है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, ईएपी के माध्यम से ओडिशा में कुल 5272 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 3532 महिलाएं हैं।

"ओडिशा में महिला उद्यमशीलता" के संबंध में 10.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1143 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. संकल्प योजना के तहत क्षमता-निर्माण, इंक्यूबेशन सहायता, सलाह और सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत करना - एमएसडीई ने अपने स्वायत्त संस्थान, एन आई ई एस बी यू डी के माध्यम से दिसंबर 2022 से आजीविका संवर्धन (संकल्प) योजना के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के तहत समाज के विभिन्न हाशिए वाले वर्गों और महिलाओं के उद्यमशीलता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक परियोजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न लोगों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बनाना, संरक्षण देना और बढ़ावा देना है। क्षमता निर्माण, इंक्यूबेशन सपोर्ट, सलाह और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से लक्ष्य समूहों को शामिल करना। संकल्प को तीन चरणों में लागू किया गया है। संकल्प 1 के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23825 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 13861 महिलाएं हैं, जिनमें ओडिशा में 2029 महिला लाभार्थी शामिल हैं। संकल्प 2 के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23841 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 18270 महिलाएं हैं, जिनमें ओडिशा में 919 महिला लाभार्थी शामिल हैं। संकल्प 3 के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 4274 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2970 महिलाएं हैं, जिनमें ओडिशा में 315 महिला लाभार्थी शामिल हैं। ओडिशा में, संकल्प को गजपति, ढेंकनाल, केंदुझार (क्योंझर), रायगड़ा, मयूरभंज, बारगढ़ (बारागढ़), मलकानगिरी, खोरधा, कोरापुट, सुंदरगढ़, गजपति, नबरंगपुर, कालाहांडी, बुबनेश्वर, बलांगीर, गंजम, संबलपुर, बालेश्वर, कंधमाल और नुआपाड़ा जिलों में लागू किया जा रहा है।

2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (STRIVE) – MSDE के औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (STRIVE) के तहत, NIESBUD ने अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (EDP) से गुजरने के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थान ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए सलाह और सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान परियोजना के तहत कुल 45339 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 12437 महिलाएं हैं, जिसमें ओडिशा में 680 महिला लाभार्थी शामिल हैं। ओडिशा

में, पहल के तहत प्रशिक्षण भुवनेश्वर, कटक, केंदुझार (क्योंझर) और सुंदरगढ़ जिलों में आयोजित किए गए थे।

3. प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) - एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थान, एनआईईएसबीयूडी के माध्यम से मार्च 2024 से प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशल और उद्यमशीलता घटक को लागू कर रहा है - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक योजना। यह परियोजना भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के समर्थन से कार्यान्वित की जा रही है। (ट्राइफेड) देशभर के 18 राज्यों में जिसके तहत कुल 500 वीडोवीके स्थापित किए जाने हैं। जनवरी 2025 तक परियोजना के तहत कुल 39576 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 31732 महिलाएं हैं, जिनमें ओडिशा में 3410 महिला लाभार्थी शामिल हैं। ओडिशा में, यह पहल अंगुल, केंदुझार (क्योंझर), गजपति, केंदुझार (क्योंझर), मलकानगिरी, मयूरभंजा, नुआपाड़ा और सुंदरगढ़ जिलों में लागू की जा रही है।

4. पीएम स्व-निधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना - एमएसडीई ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सहयोग से फरवरी 2024 में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना (आरयूवीपी) लॉन्च की, जिसमें एनआईईएसबीयूडी एक कार्यान्वयन भागीदार था। परियोजना के माध्यम से, 10 शहरों में 1,744 पीएम-स्वनिधि लाभार्थियों को उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 40% से अधिक भागीदारी महिलाओं की थी। कार्यक्रम में एक सप्ताह का कक्षा प्रशिक्षण और उसके बाद 21 सप्ताह का मार्गदर्शन और सहायता शामिल थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजना के तहत कुल 1744 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 1205 महिलाएं हैं, जिनमें ओडिशा के संबलपुर जिले की 92 महिला लाभार्थी शामिल हैं।

5. जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल - एनआईईएसबीयूडी ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना लागू की है। और क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान परियोजना के तहत कुल 5739 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4771 महिलाएं हैं, जिनमें भद्रक, बौध (बौउध), कटक, देबागढ़ (देवगढ़), ढेंकनाल, गजपति, गंजम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कालाहांडी, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, खोरधा में 564 महिला लाभार्थी शामिल हैं। ओडिशा के कोरापुट, नुआपाड़ा, पुरी और बुबनेश्वर जिले।

6. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रायोगिक परियोजना - निस्बड ने जनवरी 2020 से मार्च 2023 तक कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा समर्थित 10 राज्यों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक प्रोजेक्ट लागू किया, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता

विकास कार्यक्रम, सलाह और हैंडहोल्डिंग समर्थन के माध्यम से लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता की भावना पैदा करना, बढ़ावा देना और बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान परियोजना के तहत कुल 5000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 3089 महिलाएं हैं, जिनमें ओडिशा के बलांगीर, बालेश्वर, बारगढ़, कटक, गंजम, कंधमाल और नबरंगपुर जिलों की 418 महिला लाभार्थी शामिल हैं।

7. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमशीलता विकास - NIESBUD ने क्षमता निर्माण और उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2022 से जुलाई 2022 तक ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा समर्थित ओडिशा में महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) के लिए डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमशीलता विकास पर एक परियोजना लागू की। इस परियोजना को ओडिशा के 10 आकांक्षी जिलों बोलांगीर, ढेंकनाल, रायगडा, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कालाहांडी, गजपति, कंधमाल, नुआपाड़ा और कोरापुट में शुरू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान परियोजना के तहत ओडिशा में कुल 1993 WSHG सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

8. पवित्र शहर में उद्यमशीलता विकास पर प्रायोगिक परियोजना - एमएसडीई ने दिसंबर 2021 से जुलाई 2023 तक छह मंदिर शहरों, अर्थात् बोधगया, हरिद्वार, कोल्हूर, पंढरपुर, पुरी और वाराणसी में उद्यमशीलता संवर्धन और सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के मार्गदर्शन पर एक प्रायोगिक परियोजना लागू की। IIE ने इस परियोजना को तीन पवित्र शहरों यानी बोधगया, कोल्हूर और पुरी में लागू किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान परियोजना के माध्यम से ओडिशा के पुरी जिले में कुल 1318 महिला प्रतिभागियों को लाभ हुआ है।

ओडिशा राज्य सहित देश भर में महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. **जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)** - जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTRFDC) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बदले में उनके आर्थिक विकास पर प्रभाव डाला है। एनएसटीएफडीसी आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) लागू कर रहा है जो ओडिशा में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक का ऋण 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर प्रदान करता है।

जनजातीय आजीविका के लिए राउरकेला (ओडिशा) में आजीविका ऊष्मायन केंद्र एक सहयोगी परियोजना है जिसमें तीन संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राउरकेला इस्पात संयंत्र (भारतीय इस्पात प्राधिकरण) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) की भागीदारी है। यह एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य ओडिशा के आदिवासी समुदायों के भीतर उद्यमशीलता को प्रशिक्षण और बढ़ावा देना है।

2. **कृषि और किसान कल्याण विभाग** देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और एक ऊष्मायन इकोसिस्टम का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमशीलता विकास" कार्यक्रम लागू कर रहा है। पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट करते हैं।

इस कार्यक्रम के तहत, विचार/पूर्व-बीज चरण के लिए, एक चयनित स्टार्ट-अप एक किस्त में अधिकतम पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। बीज चरण के लिए, एक चयनित स्टार्ट-अप चयन और निवेश समिति (एसआईसी) द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर 50% और 50% की दो किस्तों में अधिकतम पच्चीस लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। प्रत्येक केपी अधिकतम 20-25 स्टार्ट-अप का चयन कर सकता है और प्रत्येक आर-एबीआई एक वित्तीय वर्ष में प्री सीड और सीड चरण की प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 10-12 स्टार्ट-अप का चयन कर सकता है।

स्टार्ट-अप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यावसायिक प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें व्यावसायिक

व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत केपी और आर-एबीआई द्वारा 5000 से अधिक एग्रीस्टार्ट-अप को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टार्ट-अप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यावसायिक प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत केपी और आर-एबीआई द्वारा 5000 से अधिक एग्रीस्टार्ट-अप को प्रशिक्षित किया गया है।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय - भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में 'मिशन शक्ति' - एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू करती है। मिशन शक्ति की अंब्रेला योजना में "संबल" और "समर्थ" नामक दो उप-योजनाएँ हैं।

'समर्थ' उप-योजना में एक घटक है अर्थात् महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र (HEW जिसे संकल्प के नाम से जाना जाता है: HEW (महिलाओं के पोषण और ज्ञान आधारित उन्नति, अंतिम-मील वितरण और संभावित प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र), महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र में महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर एक ऐसा माहौल बनाने का दायित्व है जिसमें महिलाएं महिलाओं के लिए राज्य की कार्रवाई में कमियों को दूर करने और सरकारी योजनाओं की पहुंच और उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल माहौल बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।

एचईडब्ल्यू के तहत समर्थन महिलाओं को उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध सेट अप में मार्गदर्शन, जोड़ने और मदद करने के लिए है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, पिछड़े और आगे के लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, देश भर के जिलों / ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की सुविधा शामिल है।

संकल्प: HEW को पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आज तक, कुल 35 राज्य संकल्प एचईडब्ल्यू और 742 जिला संकल्प: एचईडब्ल्यू कार्य कर रहे हैं।

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

4.1 नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल (निधि) - देश में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षण, ऊष्मायन सुविधाओं तक पहुंच, परामर्श और अनुरूप वित्त पोषण तंत्र प्रदान करके नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल (निधि) के तहत विभिन्न गतिविधियों का समर्थन कर रहा है। ये पहल नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप्स को सशक्त और प्रोत्साहित करती हैं, जिनमें महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप भी शामिल हैं ताकि वे अपने विचारों को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल सकें। निधि उद्यमियों-इन-रेसिडेंस (ईआईआर) कार्यक्रम के माध्यम से मेंटरशिप, प्रयोगशाला तक पहुंच और प्रारंभिक चरण की समय पर उपलब्धता सहित फंडिंग के लिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (टीबीआई) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; निधि-युवा और महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना और उनमें तेजी लाना (प्रयास); इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप्स के लिए निधि-त्वरक और निधि-बीज सहायता कार्यक्रम (निधि-एसएसपी)। टियर II और टियर III शहरों में नवाचार और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, टियर II और टियर III शहरों में शैक्षणिक सेटअप में स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्रों का समर्थन करने के लिए DST द्वारा निधि-इनक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (ITBI) प्रोग्राम नाम से एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। आईटीबीआई कार्यक्रम ने भौगोलिक, लिंग और विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में उद्यमशीलता समावेशिता बढ़ाने में मदद की है।

4.2 महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूईडीपी) - प्रौद्योगिकी मंत्रालय 'नवाचार आधारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम' लागू करता है जो प्रतिभागियों के लिए नवाचार और उद्यमशीलता (आई एंड ई) प्रशिक्षण पर केंद्रित है और प्रतिभागियों को ओडिशा राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं सहित पूरे देश से उद्यमशीलता को करियर के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। योजना के तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार और उद्यमशीलता (आई एंड ई) प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा संस्थान, इनक्यूबेटर, एस एंड टी पार्क और गैर-सरकारी संगठन आदि द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं; महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूईडीपी) पर विशिष्ट कार्यक्रम सहित प्रतिभागियों के लिए। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक, ओडिशा में WEDP के तहत कुल 327 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

4.3 महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसटीडब्ल्यू) कार्यक्रम - एसटीडब्ल्यू का उद्देश्य किसी क्षेत्र में महिलाओं की प्रमुख आजीविका प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी में सुधार करना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों के हस्तक्षेप के माध्यम से आजीविका प्रणाली की सबसे मजबूत कड़ी के आधार पर सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) एसटीडब्ल्यू कार्यक्रम के तहत संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और मूल्यवर्धित भोजन, हर्बल दवाओं, आहार अनुपूरक आदि के विकास के माध्यम से महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों में उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक ही मंच से महिलाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्रामीण और उप-शहरी क्षेत्रों में महिलाएं एस एंड टी आधारित हस्तक्षेपों की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए डब्ल्यूटीपी में प्रदर्शित लाइव प्रौद्योगिकी मॉडल पर प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्षेत्र

विशिष्ट संसाधनों का उपयोग करते हुए, लक्ष्य प्राप्त करें। आर्थिक पुनः विकास के लिए स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता।

5. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) - सरकार ने देश के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में नवाचार, स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के इरादे से 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की। 31 दिसंबर 2024 तक, DPIIT द्वारा 1,57,706 संस्थाओं को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है, जिनमें से 2769 ओडिशा से हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स में से, कुल 75,935 संस्थाओं ने कम से कम एक महिला निदेशक/साझेदार होने की सूचना दी, जिनमें से 1386 ओडिशा राज्य से महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप हैं।

इसके अलावा, सरकार देश भर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत विशिष्ट पहल/कार्यक्रम लागू कर रही है। ऐसी पहलों का विवरण इस प्रकार है:

- i. महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप में इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIBDI) द्वारा संचालित स्टार्ट-अप योजना के फंड में फंड का 10% महिला नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए आरक्षित है।
- ii. महिलाओं के नेतृत्व वाले वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1% प्रति वर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ एआईएफ को भी दिया जाता है जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप पर केंद्रित हैं।
- iii. स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) के तहत, गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए, सदस्य संस्थान 2% वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करता है। संवितरण/बकाया राशि का. उत्तर पूर्व क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ महिला उद्यमियों के लिए, सदस्य संस्थान 1.5% प्रति वर्ष की मानक दर का भुगतान करता है। संवितरण/बकाया राशि का.
- iv. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए एक अद्वितीय क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी और स्थापित दोनों महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्ट-अप यात्रा में पहचानने और समर्थन देने के लिए है। कार्यशालाएँ प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं। कार्यशालाएँ उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाएँ चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखी गई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं।
- v. महिला उद्यमियों के लिए एक वर्चुअल इनक्यूबेशन कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्ट-अप को निःशुल्क त्वरण सहायता के साथ समर्थन देने के लिए आयोजित किया गया था।
- vi. स्टार्ट-अप इंडिया हब: स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

vii. ASCEND स्टार्ट-अप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्ट-अप कार्यशालाओं के लिए महिलाएं: सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उद्यमियों, इच्छुक उद्यमियों और छात्रों के लिए ASCEND (एक्सेलरेटिंग स्टार्ट-अप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) स्टार्ट-अप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्ट-अप्स, महत्वाकांक्षी उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे इकोसिस्टम हितधारकों की भागीदारी देखी गई है।

viii. सुपरस्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। पॉडकास्ट महिलाओं के नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाता है और देश में महिला उद्यमशीलता को और मजबूत करता है।

ix. सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, सरकार मौजूदा योजनाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का समर्थन करती हैं।

x. स्टार्ट-अप के लिए महिलाएं: इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए राज्यों में महिला उद्यमियों के लिए राज्य कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। कार्यशालाएँ सरकारी योजना जागरूकता, मॉक पिचिंग और वित्त संबंधी प्रशिक्षण पर केंद्रित थीं।

xi. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी प्रथाओं की पहचान करने के लिए एक अभ्यास है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन और विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। विशेष कार्रवाई बिंदु पर सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उस पर भाग लेने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

xii. देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की गहराई, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार (एनएसए) की स्थापना की। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्ट-अप को मान्यता देता है और बढ़ावा देता है। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए एक विशेष श्रेणी और पुरस्कार शामिल किया गया है।

xiii. पिच फॉरवर्ड, विशेष रूप से गैर-महानगरों की महिला उद्यमियों को प्रमुख निवेशकों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक पहल है। यह विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को सीधे उद्यम पूंजी निधि में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है।

6. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम "नई रोशनी" लागू किया, जिसे 2012-13 में सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य

से शुरू किया गया था। शुरुआत से, ओडिशा राज्य में इस योजना के तहत लगभग 6,375 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल और सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों की वकालत से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। यह योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी।

नई रोशनी योजना को अब 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)' नामक एक एकीकृत योजना में एक घटक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित तीन उप-घटक हैं, अर्थात् नेतृत्व और बुनियादी उद्यमशीलता विकास, उद्यमशीलता विकास, और बिजनेस मेंटर्स/बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बिज सखी/उद्यमी मित्र)।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय - ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा वित्त पोषित और बैंकों के नेतृत्व वाले ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), स्वरोजगार को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं को कौशल और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम प्रासंगिक क्षेत्रों में बुनियादी ज्ञान के साथ 1845 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को लक्षित करता है, उन्हें स्व-रोजगार या मजदूरी रोजगार के लिए तैयार करता है। जबकि कई स्नातक उद्यमशीलता अपनाते हैं, कुछ वेतन रोजगार की तलाश भी कर सकते हैं।

MHRD RSETI भवनों के निर्माण का वित्तपोषण करता है और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रशिक्षण लागत को कवर करता है। ओडिशा राज्य में 30 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) सहित देश भर में 605 आरएसईटीआई में निःशुल्क कौशल आधारित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये आरएसईटीआई ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को 64 एमओआरडी और एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आरएसईटीआई में कुल प्रशिक्षुओं में से लगभग 70% ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं। आरएसईटीआई में नौ विशिष्ट महिला केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से महिलाएं कौशल और उद्यमशीलता विकसित कर सकती हैं।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम भी एक प्रशिक्षु को बैंक ऋण लेने और अपना स्वयं का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतनभोगी नौकरियों की तलाश भी कर सकते हैं। 31.12.2024 तक पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ओडिशा राज्य में प्रशिक्षित और बसे हुए उम्मीदवारों का निम्नानुसार दिया गया है:

वित्त-वर्ष	योग		महिलाएं (कुल संख्या में से)	
	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
2021-22	16049	13978	14788	13088
2022-23	20766	17486	18611	16317
2023-24	22056	19544	20046	18288

2024-25 (31.12.2024 तक)	21656	16211	19266	15057
----------------------------	-------	-------	-------	-------

31.12.2024 तक पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय-वर्ष के लिए ओडिशा राज्य के क्यॉंझर जिले में प्रशिक्षित और बसे हुए उम्मीदवारों का विवरण नीचे दिया गया है:

	योग		महिलाएं (कुल संख्या में से)	
वित्त-वर्ष	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
2021-22	456	331	358	234
2022-23	758	552	672	516
2023-24	795	584	717	538
2024-25 (31.12.2024 तक)	796	565	740	519

8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना की शुरुआत की है। इस योजना का विशेष ध्यान कृषि-खाद्य प्रसंस्करण में लगे समूहों जैसे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ समर्थन देने पर है। एसएचजी सदस्य कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रति सदस्य ₹40,000 की प्रारंभिक पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के समूहों को ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए 50% वित्तीय अनुदान भी प्रदान करती है। पीएमएफएमई योजना के तहत, ओडिशा राज्य में 301 एसएचजी लाभार्थियों को बीज पूंजी से लाभ हुआ और एमओएफपीआई के तहत एक स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर (एनआईएफटीईएम-टी) ने ओडिशा की 34 महिला उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) - एमएसएमई मंत्रालय की उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे नवंबर 2019 में बढ़ाया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य एससी/एसटी महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), पूर्व सैनिकों और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्व-रोजगार या उद्यमशीलता को कैरियर विकल्पों में से एक के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करना है। अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता संस्कृति को विकसित करना है। नई ईएसडीपी दिशानिर्देश, जिसे 25.3.2022 को मंजूरी दी गई थी, के पांच घटक हैं:

- i. उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)

- ii उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
- iii एडवांस ईएसडीपी - यह घटक नया जोड़ा गया है और इसे आईआईटी/आईआईएम/आईसीएआर/बीएआरसी/राज्य/केंद्र सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किया जाना है।
- iv प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)
- v एडवांस एमडीपी- इसे 15वें वित्त आयोग के लिए अनुमोदित नए दिशानिर्देशों में नया जोड़ा गया है जिसमें एडवांस ईएसडीपी घटक जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रम शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 (07.02.2025 तक) तक, ओडिशा राज्य में कुल 22,273 महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें ओडिशा के क्यॉंझर जिले में 574 शामिल हैं।

10. वस्त्र मंत्रालय संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर, कपड़ा की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए, संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करने में उद्योग के प्रयासों को पूरक करने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना) लागू कर रहा है। समर्थ को पूरे देश में मांग आधारित आधार पर लागू किया गया है और योजना के तहत हाशिए पर रहने वाले सामाजिक समूहों जैसे महिलाओं, एससी/एसटी आदि को प्राथमिकता दी जाती है। 07.02.2025 तक, 3,59,037 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है और इनमें से 3,16,275 महिलाएं हैं।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) अनुसूचित जाति (VCF-SC) और पिछड़े वर्गों (VCF-BC) के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड (VCF) योजना लागू करता है। ये योजनाएं रियायती वित्त के माध्यम से उक्त समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। वर्तमान में वीसीएफ-एससी के तहत 4% और वीसीएफ-बीसी के तहत 6% की कूपन दर ली जाती है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 0.25% प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, महिलाओं सहित युवा शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए, वीसीएफ-एससी के तहत "अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम)" 30 सितंबर 2020 से लागू किया जा रहा है। ये योजनाएं ओडिशा राज्यों सहित पूरे देश में चालू और लागू हैं।
